न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 76/2014

1 अर्जुनदास पुत्र धोकलदास मृतक।
1/1 श्रीमती लाली देवी पत्नी अर्जुनदास।
1/2 राजकुमार पुत्र अर्जुनदास।
1/3 दलीप पुत्र अर्जुनदास।
1/4 दिनेश पुत्र अर्जुनदास।
1/5 लोकेश पुत्र अर्जुनदास।
1/6 सुमन पुत्री अर्जुनदास।
1/7 पूजा पुत्री अर्जुनदास।
1/8 प्रियंका पुत्री अर्जुनदास समस्त जाति स्वामी निवासीगण दोलतपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

वनाम

1 मूर्ति मन्दिर श्री बालाजी विराजमान ग्राम दौलतपुरा चिर अवयस्क जरिये तथाकथित पुजारी अशोक स्वामी पुत्र हणमानदास जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा सीकर।
2 प्रबन्ध निदेशक सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय बजरंग कांटा के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।
3 ब्रांच मैनेजर पिपराली सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड स्टेशन रोड़ तापड़िया बगीची सीकर।
4 अधिशाषी अधिकारी सीकर प्रधान कार्यालय बजरंग कांटा के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5 विक्रय अधिकारी सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड पिपराली तहसील व जिला सीकर।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सीकर भू–धारक राजस्थान सरकार।
7 उप पंजियक महोदय सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.05.2011 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सीकर दावा संख्या 8/2007
बउनवानी मूर्ति मन्दिर श्री बालाजी विराजमान दौलतपुरा
बनाम अर्जुनराम आदि।

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2007 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से ग्राम गुमाना का बास की भूमि खसरा नम्बर 491,492,493,523 के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट व उसके वकील को सुने बिना ही निर्णय जेर अपील दिनांक 30.05.2011 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के दावे के तथ्यो को इन्कार हुये जवाब दावा प्रस्तुत किया था अत विचारण न्यायालय के लिए यह कानून आवश्यक था कि जवाब दावे के अनुसार तनकीयात कायम करके दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर ही दावे का निर्णय किए जाने योग्य था परन्तु विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम किए बिना व बिना साक्ष्य लिए ही अपनी मर्जी मुताबिक निर्णय जेर अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी के कब्जे के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिए बिना ही निर्णय जेर अपील पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जेर अपील में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब दावे के तथ्यो का न तो कोई उल्लेख किया और न उनके बारे में कोई निर्णय ही दिया है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए ऋण के सम्बन्ध में जो निर्णय पारित किया गया है उसके बारे में वादी ने दावे में कोई सहायता नही चाही थी फिर भी विचारण न्यायालय ने अपनी मर्जी मुताबिक ऋण वसूली के सम्बन्ध में अपना निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अपने वकील के द्वारा दिनांक 29.09.2011 को जवाब दावा प्रस्तुत करवाया था उस वक्त अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के वकील ने उसे हर पेशी पर न्यायालय में आना जरूरी नही बताया व उसे कहा था कि आपकी जरूरत होने पर सूचना देकर बुला लिया जावेगा। अपीलांट ने अर्सा करीब दो माह पूर्व विवादित भूमि मे से जो भूमि अपीलांट काश्त करता है उसमें एक छप्पर बनाने के लिए पाल खड़ा किया था जिसकें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट व उसके वकील को सुने बिना ही निर्णय जेर अपील दिनांक 30.05.2011 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के दावे के तथ्यो को इन्कार हुये जवाब दावा प्रस्तुत किया था अत विचारण न्यायालय के लिए यह कानून आवश्यक था कि जवाब दावे के अनुसार तनकीयात कायम करके दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर ही दावे का निर्णय किए जाने योग्य था परन्तु विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम किए बिना व बिना साक्ष्य लिए ही अपनी मर्जी मुताबिक निर्णय जेर अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी के कब्जे के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिए बिना ही निर्णय जेर अपील पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जेर अपील में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब दावे के तथ्यो का न तो कोई उल्लेख किया और न उनके बारे में कोई निर्णय ही दिया है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए ऋण के सम्बन्ध में जो निर्णय पारित किया गया है उसके बारे में वादी ने दावे में कोई सहायता नही चाही थी फिर भी विचारण न्यायालय ने अपनी मर्जी मुताबिक ऋण वसूली के सम्बन्ध में अपना निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अपने वकील के द्वारा दिनांक 29.09.2011 को जवाब दावा प्रस्तुत करवाया था उस वक्त अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के वकील ने उसे हर पेशी पर न्यायालय में आना जरूरी नही बताया व उसे कहा था कि आपकी जरूरत होने पर सूचना देकर बुला लिया जावेगा। अपीलांट ने अर्सा करीब दो माह पूर्व विवादित भूमि मे से जो भूमि अपीलांट काश्त करता है उसमें एक छप्पर बनाने के लिए पाल खड़ा किया था जिसकें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने तथाकथित पुजारी अशोक की ओर से अशोक के भाई महावीर ने पुलिस थाना दादिया में शिकायत की जिस पर दिनांक 02.06.2014 को थानेदार साहब मौके पर आये व अपीलांट को उपरोक्त वर्णित पाल उखाड़ने के लिए कहा जिस पर दिनांक 03.06.2014 को अपीलांट अपने वकील से मिला व सारी बात बताई जिस पर अपीलांट के वकील ने सलाह दी कि पुलिस थाना दादिया के थानेदार से सम्पर्क करे कि किस न्यायालय के किस दिनांक के निर्णय व मुकदमें के सम्बन्ध में मौके पर गये जिस पर थानेदार ने एक पर्ची पर मुकदमें का नाम व फैसले की दिनांक व न्यायालय का नाम बताया जिस पर अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दिनांक 05.06.2014 को प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 06.06.2014 को प्राप्त हुई दिनांक 07.06.2014 व 08.06.2014 को राजकीय अवकाश होने पर आज तत्काल अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट निर्णय जेर अपील की जानकारी के अभाव में अवधि भीतर अपील प्रस्तुत नही कर सका। अपीलांट को निर्णय जेर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 06.06.2014 को नकल प्राप्त होने पर हुई अत जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलांट के हितो की रक्षा के लिए व सही निर्णय व न्याय के लिए अपीलांट को मियाद का फायदा दिया जाना आवश्यक है जिसकें लिए आवेदन धारा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र साथ प्रस्तुत है। विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई, बिना विधिक प्रकिया अपनाये विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील 3 साल की अत्यधिक देरी से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कारण अंकित नही किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। ऐसी स्थिति में निर्णय की जानकारी नही होने का कथन स्वीकार्य नही है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। विचारण न्यायालय द्वारा मूर्ति मन्दिर की भूमि की सुरक्षा हेतु स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की डिक्री जारी कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। मूर्ति मन्दिर की भूमि में अपीलांट के कोई हक अधिकार नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील 3 साल की अत्यधिक देरी से प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील में विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषजनक कारण अंकित नही किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। ऐसी स्थिति में निर्णय की जानकारी नही होने का कथन गलत है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। विचारण न्यायालय द्वारा मूर्ति मन्दिर की भूमि की सुरक्षा हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर